न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 135 / 2024 दर्ज तिथि :— 29.08.2024

1. जनार्दन प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद
2. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर प्रसाद
3. दामोदर प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद
4. राजेश पुत्र रामेश्वर प्रसाद

जाति ब्राहम्ण निवासी हडिया तहसील महवा जिला दौसा राज0

.............वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील महवा जिला दौसा
2. विनोद पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी हडिया तहसील महवा जिला दौसा

...........प्रतिवादी

उपस्थितः—
वादी अधिवक्ताः— श्री धर्मसिंह राजपूत
प्रतिवादी अधिवक्ता – श्री शिवचरण शर्मा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 10.01.2025

वादीगण के वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं. 279 / 1.25, 279 / 1347 / 0.01, 289 / 0.80, 291 / 0.91, 7 / 1.00 कुल किता 5 कुल रकबा 3.97 हैक्टेयर वाके ग्राम हडिया तहसील महवा जिला दौसा में स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 की पैतृक आराजी है जो उन्हें उनके पिता से जरिये विरासत प्राप्त हुई है। हाल खसरा नं. 279 रकबा 1.25 हैक्टेयर एवं 289 रकबा 0.80 हैक्टेयर के साबिक खसरा नं. 120 मिन रकबा 8 बीघा 3 विस्वा से मिलकर बना है। बन्दोबस्त से पूर्व उक्त दोनो ही नम्बरों का एक ही नम्बर 120 था तथा नक्शा ट्रेस में भी एक ही स्थान था। बन्दोबस्त विभाग द्वारा उक्त साबिक खसरा नं. 120 दो खसरा नम्बरों में विभाजित किया जिसमें 279 एवं 289 खसरा नम्बर कायम किये। जिसमें उक्त खसरा नं. का नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी में चिन्हित करते हुये

Manisha
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

नंबर 279 का रकबा 1.25 हैक्टेयर का दिखाया गया है जबकि नक्शा ट्रेस में उसका क्षेत्रफल 0.80 हैक्टेयर का ही है तथा मौके पर भी उक्त रकबा 0.80 हैक्टेयर के अनुसार ही क्षेत्रफल है। तथा खसरा नं. 289 का रकबा 0.80 हैक्टेयर का दिखाया गया है जबकि वर्तमान नक्शा ट्रेस एवं मौके पर क्षेत्रफल इस खसरा नं. का 0.80 हैक्टेयर नही होकर 1.25 हैक्टेयर है। जिससे यह साबित होता है कि उक्त दोनो खसरा नंबरों का क्षेत्रफल दिखाते समय बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नं. 279 का क्षेत्रफल ख.नं. 289 वाला लिख दिया तथा ख.नं. 289 का क्षेत्रफल ख.नं. 279 वाला लिख दिया जिससे राजस्व रिकॉर्ड में गलती हुई तथा उक्त गलती के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हित प्रभावित हो रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक दावा अंतर्गत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवान विनोद बनाम ओमप्रकाश न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें प्राथमिक डिक्री किये जाने पर तहसीलदार महवा द्वारा उक्त खसरा का विभाजन करने पहुंचे तो उनके द्वारा दिनांक 19.07.2024 को हमें बताया कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हो रहा है। दावा वादीगण बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणा खातेदारी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की दुरूस्ती की जावे कि खसरा नं. 279 वाके ग्राम हड़िया तहसील महवा का रकबा जमाबंदी में 1.25 हैक्टेयर दर्ज किया हुआ है उसे नक्शा ट्रेस हाल के क्षेत्रफल 0.80 हैक्टेयर एवं मौके के क्षेत्रफल 0.80 है0 के अनुसार उक्त ख0नं0 279 का रकबा वर्तमान जमाबंदी में 1.25 हैक्टेयर के स्थान पर 0.80 हैक्टेयर दर्ज किया जावे तथा खसरा नं. 289 वाके ग्राम हड़िया तहसील महवा का रकबा वर्तमान जमाबंदी में 0.80 हैक्टेयर दर्ज किया हुआ है उसे नक्शा ट्रेस हाल के क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर एवं मौके के क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर के अनुसार उक्त खसरा नं. 289 का रकबा वर्तमान जमाबंदी में 0.80 हैक्टेयर के स्थान पर 1.25 हैक्टेयर दर्ज किया जावे। विकल्प में उक्त खसरा नंबरान को हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नं. 279 के स्थान पर 289 एवं खसरा नं. 289 के स्थान पर 279 को प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को फरमाया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अथवा नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती इन्द्राज की घोषणा फरमायी जावे तथा गलत इन्द्राज हो जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में हो रहा है उसे हजफ फरमाया जावे। तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो आराजी में उनके हिस्से व कब्जे के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करें और ना ही किसी अन्य व्यक्तियो से करावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर श्री शिवचरण शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 01 सरकार पैरोकार की ओर से जबाव/रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें बताया कि खसरा नं. 279/1.25, 289/0.80 (वर्तमान जमाबंदी अनुसार) साबिक खसरा नं. 120 मिन रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा से बने है (भू–प्रबंध विभाग खतौनी अनुसार)। वर्तमान ख.नं. 279, 289 का नक्शा अनुसार व मौका अनुसार दोनो ख.नं. का 279/0.80, 289/1.25 रकबा होना चाहिए था किन्तु वर्तमान जमाबंदी में दोनो खसरा नंबर का रकबा बदलकर दर्ज किया हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

दी नं. 2 अधिवक्ता जबाव प्रस्तुत नही करना चाहते है इसलिए इनका जबाव बन्द किया ता है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उक्तानुसार दुरूस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा सरकार पैरोकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद गौर बहस एवं प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि खसरा नं. 279 / 1.25, 289 / 0.80 वाके ग्राम हडिया (वर्तमान जमाबंदी अनुसार) साबिक खसरा नं. 120 मिन रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा से बने है (भू–प्रबंध विभाग खतौनी अनुसार)। वर्तमान ख.नं. 279, 289 वाके ग्राम हडिया का नक्शा अनुसार व मौका अनुसार दोनो ख.नं. का 279 / 0.80, 289 / 1.25 रकबा होना चाहिए था जो उचित प्रतीत होता है। वादीगण का वादपत्र डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम हडिया तहसील महवा जिला दौसा की आराजी खसरा नं. 279 रकबा 1.25 हैक्टेयर एवं 289 रकबा 0.80 हैक्टेयर के स्थान पर आराजी खसरा नं. 279 रकबा 0.80 हैक्टेयर एवं 289 रकबा 1.25 हैक्टेयर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठियां की जावे। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 10.01.2025 को आदेश निर्णय खुले इजलास मे सुनाया गया एवं बसबत मेरे दस्तखत मुहर अदालत से जारी किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा